



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

थाना कोतवाली कालपी क्षेत्रान्तर्गत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हुये पकड़े जाने पर अभियुक्त नागेन्द्र पुत्र गयाप्रसाद नि० मुहल्ला महमूदपुरा थाना कालपी जनपद जालौन के विरुद्ध थाना कोतवाली कालपी में मु०अ०सं० 461/2017 (वाद संख्या – 05/18) धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 20.09.2023 को मा० न्यायालय एडीजे एफटीसी/जीएसटी/एनडीपीएस कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त नागेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुये 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 17.11.2017 को अभियोग पंजीकृत हुआ था माननीय न्याया० द्वारा आरोप के विचारण के बाद (करीब 05 वर्ष 10 माह में) अभियुक्त को दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल रामलखन



कोर्ट पैरोकार अनुज राजपूत

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice